



प्रथम अनूसाची (अनुच्छेद 1-4)

इसके अन्तर्गत

- 1- राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र
- 2- संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं

Governor of India



द्वितीय अनूसूची

'वेतन एवं भत्ते'

- जैसे- राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, न्यायाधीश आदि



तृतीय अनुसूची

'शपथ या प्रतिज्ञान'

- विभिन्न मंत्री, सांसद, न्यायाधीश, एमोएल0ए0 आदि की शपथ का वर्णन
- इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का वर्णन नहीं है।



चतुर्थ अनूसूची

राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन

- इसका सम्बन्ध अनुच्छेद 4 व 80(2) में



पांचवी अनुसूची

अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा
नियंत्रण के बारे में



छठी अनूसूची

असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के
जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में

SEVENTH SCHEDULE OF INDIAN CONSTITUTION

UNIFORM

CIVIL CODE

POLITY NOTES

सातवी अनुसूची (अनुच्छेद 246)

इसके अन्तर्गत

- संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल सम्बन्ध

1. असमिया
(Assamese) 2. बंगालি
(Bengali) 3. गुजराती
(Gujarathi)

4. हिन्दी
(Hindi) 5. कन्नड
(Kannada) 6. काश्मीरी
(Kashmiri)

7. कोंकणी
(Konkani) 8. मलयालम
(Malayalam)

9. मैतिपुरी
(Manipuri) 10. मराठी
(Marathi) 11. नेपाली
(Nepali)

12. ओडिया
(Oriya) 13. पंजाबी
(Punjabi) 14. संस्कृतम्
(Sanskrit)

15. سندھی[۔]
(Sindhi) 16. तमिल்
(Tamil) 17. तेलुगु
(Telugu)


18. اردو[۔]
(Urdu) 19. बढ़ो
(Bodo) 20. संताली
(Santali)

21. मैथिली, खशी
(Maithili) 22. डोगरी
(dogri)



आठवीं अनुसूची

संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं
की सूची



नौवीं अनुसूची

भूमि सुधारों एवं जमीनी उन्मूलनों के लिए बनाये जाने वाले नियमों, अधिनियमों आदि को न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति से बाहर रखना।



दसवीं अनुसूची

दल-बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों को निर्हता से सम्बन्धित उपबन्ध।



ग्यारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243)

पंचायतों की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ



बारहवीं अनुसूची

नगरपालिकाओं की शक्तियाँ और
जिम्मेदारियाँ